GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (DEPARTMENT OF PENSION & PENSIONERS' WELFARE)

RAJYA SABHA UNSTARRED QUESTION NO. 428 (TO DE ANSWERED ON 04 02 2021)

(TO BE ANSWERED ON 04.02.2021)

PETITION ON OLD PENSION SCHEME

428 SHRI NEERAJ SHEKHAR:

Will the **PRIME MINISTER** be pleased to refer to answer to Unstarred Question 1710 given in the Rajya Sabha on 5th March, 2020 and state:

- (a) whether Government is aware that Hon'ble Supreme Court vide SLPs (Civil) Nos. 23568/2019 (Review Petition (C) No. 21889/2019) and 31539/2019 and Hon'ble High Court of Delhi vide various writ petitions has allowed Old Pension Scheme to employees of central Government whose advertisement for recruitments were advertised before 01/01/2004 and final results declared/joining occured after 31/12/2003 and who were earlier placed under NPS;
- (b) if so, whether Government would issue general orders in this regard and revert employees under NPS to Old Pension Scheme from date of advertisement instead of finalization of appointments; and
- (c) if not, the reasons therefor?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE (DR. JITENDRA SINGH)

(a) to (c): A Writ Petition No. 1358/2017 was filed by Shri Shyam Kumar Choudhary and ors. before the Hon'ble High Court of Delhi. Hon'ble Court vide its order dated 09.04.2019, allowed the Writ Petition. The operative part of the order reads as under:

The issue is no longer res integra. In the case of certain constables of the BSF, this Court by its judgement dated 12th February, 2019 in Tanka Ram Vs. Union of India 2019 (174) DRJ 146 (DB) allowed the prayer of those petitioners and permitted them to avail of the benefit of the old pension scheme. It was held that the option to continue the old pension should be extended to all those who had been selected in examination conducted in 2003, but were issued call letters only in January or February, 2004.

In the present case also, the reason the Petitioners not joining prior to 1st January, 2004 is entirely due to the Respondents. The Petitioners cannot be deprived of the benefit of the Old Pension Scheme, as they qualified even prior to the notification of the New Pension Scheme.

For the above reasons, the petition is allowed and direction is issued to the Respondents to extend the benefit of the Old pension scheme to each of these petitioners.

Since, the above case viz. Shri Shyam Kumar Choudhary and ors., was not similar to the cases referred in the order, an SLP (C) was filed before Hon'ble Supreme Court vide Dy. No. 31539/2019 and case No. 23568 / 2019 against the order dated 09.04.2019 of Hon'ble High Court of Delhi. After dismissal of the SLP, a Review Petition (C) No.21889/2020 was filed in Hon'ble Supreme Court. The Review Petition was dismissed by Hon'ble Court on 24.11.2020.

National Pension System (NPS) was introduced for Central Government employees by a Notification of Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) dated 22nd December, 2003. NPS is mandatory for all new recruits to the Central Government service from 1st January, 2004 (except the armed forces). However, in some specific court cases, like WP(C) No. 3834/2013 titled **Parma Nand Yadav Vs. Union of India** and WP(C) No. 2810/2016 titled **Rajendra Singh Vs. Union of India**, where the selection of candidates had been made before 01.01.2004 but their actual appointment in the Government service could be made on or after 01.01.2004 due to various reasons, on the direction of the Hon'ble High Court of Delhi, the benefit of Old Pension Scheme was allowed to the petitioners.

After considering all the relevant aspects and to extend the benefit to similarly placed Government servants in order to reduce further litigation, the Government has decided, vide an Office Memorandum No. 57/04/2019-P&PW(B) dated 17th February, 2020 of the Department of Pension & Pensioners' Welfare, that in all cases where the results for recruitment were declared before 01.01.2004 against vacancies occurring on or before 31.12.2003, the candidates declared successful for recruitment shall be eligible for coverage under the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972. Accordingly, such Government servants who were declared successful for recruitment in the results declared on or before 31.12.2003 against vacancies occurring before 01.01.2004 and covered under the National Pension System on joining service on or after 01.01.2004, may be given a one – time option to be covered under the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972.

In view of the specific provisions of the Notification dated 22.12.2003, the date of advertisement for the vacancies or the date of examination for selection against those vacancies is not considered relevant for determining the eligibility for coverage under the Old Pension Scheme or the National Pension System.

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग)

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं 428

(दिनांक 04.02.2021 को उत्तर देने के लिए)

पुरानी पेंशन योजना के संबंध में याचिका

428. श्री नीरज शेखर:

क्या प्रधानमंत्री दिनांक 5 मार्च, 2020 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 1710 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमित याचिका (एसएलपी)(सिविल) सं.23568/2019 (समीक्षा याचिका(ग) सं.21889/2019) और 31539/2019 तथा माननीय उच्च न्यायालय ने विभिन्न रिट याचिकाओं के जरिए केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना की अनुमित दी है जिनकी भर्ती के लिए विज्ञापन 01.01.2004 से पूर्व दिया गया था तथा 31/12/2003 के पश्चात अंतिम परिणाम घोषित किया गया/पदग्रहण किया तथा जो पूर्व में नई पेंशन योजना(एनपीएस) के अंतर्गत रखे गए थे;
- (ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में सामान्य आदेश जारी करेगी और एनपीएस के अंतर्गत, आने वाले कर्मचारियों को नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बजाए उन्हें विज्ञापन की दिनांक से पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत पुनः लाएगी; और
- (ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

<u>उत्तर</u>

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय एवं प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ जितेंद्र सिंह)

(क) से (ग): माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष श्री श्याम कुमार चौधरी और अन्य द्वारा रिट याचिका सं.1358/2017 दायर की गई थी। माननीय न्यायालय ने 09.04.2019 के अपने आदेश के द्वारा रिट याचिका की अनुमित दी। इस आदेश का प्रवर्ती भाग निम्नानुसार है:

यह मामला अनिर्णीत विषय नहीं है। बीएसएफ के कुछ कांस्टेबलों के मामले में, दिनांक 12 फरवरी, 2019 को इस न्यायालय ने टांका राम बनाम भारत संघ 2019(174) डीआरजे146 (डीबी) में अपने फैसले के द्वारा उन याचिकाकर्ताओं की अर्जी की अनुमित दी और उन्हें पुरानी पेंशन योजना का हितलाभ प्राप्त करने की अनुमित प्रदान की। यह भी आदेश दिया गया कि पुरानी पेंशन जारी रखने का विकल्प उन सभी के लिए विस्तारित किया जाना चाहिए जिनका 2003 में आयोजित परीक्षा में चयन किया गया था, लेकिन उन्हें बुलावा पत्र जनवरी या फरवरी, 2004 में जारी किए गए थे।

वर्तमान मामले में भी, 1 जनवरी, 2004 से पहले याचिकाकर्ताओं के भर्ती नहीं हो पाने का कारण पूर्णतः प्रतिवादी ही है। याचिकाकर्ता पुरानी पेंशन योजना के हितलाभ से वंचित नहीं रह सकते, क्योंकि वे नई पेंशन योजना की अधिसूचना से पहले सफल घोषित किए गए थे।

उपरोक्त कारणों से, याचिका की अनुमित दी जाती है और प्रतिवादियों को निदेश दिया जाता है कि वे प्रत्येक याचिकाकर्ता को पुरानी पेंशन योजना का हितलाभ प्रदान करें।

चूंकि, उपरोक्त मामला अर्थात श्री श्याम कुमार चौधरी और अन्य, इस आदेश में उल्लिखित मामलों के समान नहीं था, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 09.04.2019 के आदेश के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष डीवाई सं.31539/2019 और मामला संख्या 23568/2019 के द्वारा एसएलपी(सी) दायर किया था। एसएलपी की बर्खास्तगी के बाद, माननीय उच्चतम न्यायालय में समीक्षा याचिका(सी) सं.21889/2020 दायर की गई। समीक्षा याचिका माननीय न्यायालय द्वारा 24.11.2020 को खारिज कर दी गई थी।

वित्त मंत्रालय (आर्थिक मामलों के विभाग) के दिनांक 22 दिसंबर, 2003 की अधिसूचना द्वारा केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली(एनपीएस) शुरू की गई थी। 1 जनवरी, 2004 से केंद्र सरकार की सभी नई भर्तियों (सशस्त्र सेनाओं को छोड़कर) के लिए एनपीएस अनिवार्य है। हालाँकि, कुछ विशिष्ट अदालती मामलों में, जैसे कि रिट याचिका(सी) सं.3834/2013 शीर्षक परमानंद यादव बनाम भारत संघ और रिट याचिका(सी) सं.2810/2016 शीर्षक राजेंद्र सिंह बनाम भारत संघ, जहाँ उम्मीदवारों का चयन 01.01.2004 से पहले हो गया था, लेकिन विभिन्न कारणों से सरकारी सेवा में उनकी वास्तविक नियुक्ति 01.01.2004 को या उसके बाद की जा सकी थी, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निदेश पर, याचिकाकर्ताओं को पुरानी पेंशन योजना के हितलाभ की अनुमित प्रदान की गई थी।

सभी प्रासंगिक पहलुओं पर विचार करने के बाद और आगे की मुकदमेबाजी को कम करने के लिए ऐसे समरूप नियोजित सरकारी कर्मचारियों को लाभ प्रदान करने के लिए, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 17 फरवरी, 2020 के कार्यालय ज्ञापन सं. 57/04/2019-पी&पीडब्ल्यू (बी) के तहत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि उन सभी मामलों में, जहां दिनांक 31.12.2003 को या उससे पूर्व होने वाली रिक्तियों के सापेक्ष, भर्ती के लिए परिणाम दिनांक 01.01.2004 से पूर्व घोषित किए गए थे, भर्ती के लिए सफल घोषित किए गए अभ्यर्थी केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 के तहत कवर किए जाने के पात्र होंगे। तदनुसार, ऐसे सरकारी कर्मचारियों को, जिन्हें दिनांक 01.01.2004 से पूर्व होने वाली रिक्तियों के सापेक्ष में दिनांक 31.12.2003 को या उससे पूर्व घोषित परिणामों में भर्ती के लिए सफल घोषित किया गया था और जो दिनांक 01.01.2004 को या उसके बाद कार्यभार ग्रहण करने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत कवर किए जा रहे हैं, को केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के तहत कवर किए जाने के लिए एक बार विकल्प दिया जा सकता है।

दिनांक 22.12.2003 की अधिसूचना के विशिष्ट प्रावधानों के मद्देनजर, रिक्तियों के लिए विज्ञापन की तिथि या उन रिक्तियों के सापेक्ष चयन के लिए परीक्षा की तिथि को पुरानी पेंशन योजना या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत कवरेज के लिए पात्रता निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक नहीं माना जाता है।
